बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

कतरन संख्या ....

तिथि 201

समाचार-पत्र का नाम .... प्रभात खबर ....

13 JUN 2020

प्रकाशन तिथि ....

मंत्री/अपर मुख्य सचिव/आयुक्त

.... विभाग

के अवलोकनार्थ

सहायक निदेशक (प्रेस)

विस चुनाव की तैयारी. सीइओ ने की समीक्षा

इवीएम की तैयारी, मतदान कर्मियों की मांगी जानकारी

संवाददाता ▷ पटना

बिहार विधानसभा की चुनावी तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) एचआर श्रीनिवास ने जिलों से मतदान की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी डीएम से उनके जिले में मतदान कर्मियों की संख्या और इवीएम की जरूरतों का खाका तैयार करने को कहा. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि उनके जिलों में जितने भी पुलिस अनुसंधान के मामले लंबित हैं, उनको जल्द निबटाएं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने जिलों को निर्देश दिया है कि वह विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण की तैयारी आरंभ कर दें. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए छोटे-छोटे ग्रुप में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण करावें. जिले में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत प्लान खुद तैयार कर उसे लागू करें.

एप से जानें अपने उम्मीदवार को

विधानसभा चुनाव में मोबाइल एप से मतदाता लाभ उठा सकेंगे. अब उनको मोबाइल एप से पता चलेगा कि उनका बूथ कहां हैं, बूथ पर कतार कितनी लंबी है. इसके अलावा बूथ के अधिकारी भी यह ट्रैक कर लेंगे कि उनके क्षेत्र के कितने मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचे हैं. इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को भी मोबाइल एप से उनके आवेदन पत्र से लेकर उसके ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी. निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को सहयोग करने के लिए सबसे कारगर वोटर हेल्पलाइन एप विकसित किया है. इसके माध्यम से मतदाता अपने नाम की खोज मैन्युअल मतदाता सूची के अलावा डिजिटल कर सकते हैं. अपने बूथ की जानकारी और लोकेशन को जान सकते हैं. इस एप के माध्यम से नये मतदाता अपना आवेदन कर सकते हैं.

मामले और संपत्ति की भी मिलेगी जानकारी

मतदाताओं को उनके क्षेत्र के प्रत्याशियों के संपत्ति का ब्योरा, उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी मिलेगी. इस एप में दिलचस्प बात है कि मतदान के बाद वोटर सेल्फी लेते हैं तो वह वोटर हेल्पलाइन गैलरी में शामिल हो जायेगा. आयोग ने इसके अलावा सी-विजिल एप भी तैयार किया है, जिसके माध्यम से मतदाता कहीं भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. मतदाता फोटो, आवाज या वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज करेंगे.

15/6

(एच० आर० श्रीनिवास)